संख्या-92/2024/I/781065/2024/001-71-2099-340-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 25 अक्टूबर, 2024**

विषयः- कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ में निर्माणाधीन आवासीय परिसर के परिप्रेक्ष्य में देय वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-KSSSCI/DIR-612**/66/2024, दिनांक 20.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ में निर्माणाधीन आवासीय परिसर की प्रायोजनान्तर्गत भुगतान की गयी वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संस्थान में निर्माणाधीन आवासीय परिसर योजनान्तर्गत वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) के रूप में भुगतानित की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू0 34764878/- (अनुदान संख्या-31 से रू0 27464254/- एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 7300624/-) अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में में नहीं रखा जायेगा।
(2) प्रायोजना हेतु निर्गत मूल शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 27464254/- (दो करोड चौहत्तर लाख चौसठ हजार दो सौ चौवन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031055900 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 7300624/- (रुपये तिहत्तर लाख छः सौ चौबीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892400 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-92/2024/।/781065/2024/001-71-2099-340-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।